6/12/2016 पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी एवं उनके अधिवक्ता गत दो तारिख पेशीयों दिनांक 8/11/2016 एवं दिनांक 22/11/2016 को भी अनुपस्थित रहे है। वादी तथा उनके अधिवक्ता की अपने वाद की पैरवी करने में कोई रुचि एवं गम्भीरता प्रतीत नहीं होती है। वादी की अरुचि व अगम्भीरता से न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है। आज भी बार-बार न्यायालय समय पर आवाज लगाई गई। बावजूद आवाज कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

06/12/16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम